न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 22 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. रूखमोदेवी पत्नी स्व. राजूराम 2. ओमप्रकाश पुत्र राजूराम 3. जोगाराम पुत्र राजूराम उम्र 14 वर्ष वादी संख्या 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता वादिनी संख्या 1 रूखमोंदेवी 4. प्रहलादराम पुत्र हजारीराम 5. भरतबाबू पुत्र हजारीराम 6. हजारीराम पुत्र हरचंदराम जाति जाट निवासी जाणियावास नांद तहसील व जिला बाड़मेर		1. रामाराम पुत्र पदमाराम 2. लिखमाराम पुत्र पदमाराम 3. हरदानराम पुत्र पदमाराम 4. चौनाराम पुत्र लालाराम 5. किस्तूराराम पुत्र बांकाराम फौत के कायम मुकाम 5 / 1रामराम पुत्र किस्तूराराम 6. शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी विशाला 7. तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 444 / 2023 बअनवान रामाराम बनाम चैनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सुखदेव जाखड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रघुनाथ विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.02.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 की ओर से अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 251 मौजा जाणियावास पटवार हल्का नांद तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर में आवागमन हेतु रास्ते का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस के खेत खसरा संख्या 368/246 मौजा जाणियावास तथा उतरदाता संख्या 04 व 05 के खेत खसरा संख्या 351/246 मौजा जाणियावास के विरूद्ध सरकारी रास्ते से जुड़ने के लिए दिनांक 06.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थीगण के खेत में सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता अपीलकर्ताओ का खेत तथा उतरदाता संख्या 04 व 05 का खेत ही है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटस की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका देखते समय अपीलकर्तागण को कोई सूचना नहीं दी गई। पेशी तारीख 28.02.2024 को पीठासीन अधिकारी बाहर होने पर पत्रावली इल्तबा होकर आगामी पेशी दिनांक 28.03.2024 को नियत कर दी गयी थी लेकिन उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अपीलांटगण को जाने के बाद आगामी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पेशी तारीख 28.03.2024 को बदलवाकर कांट छांट कर 18.03.2024 कर दी गई जिसका अपीलांटगण को कोई ज्ञान नहीं था, दिनांक 18.03.2024 को भी पीठासीन अधिकारी बाहर होने पर पत्रावली इल्तबा होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.03.2024 को नियत कर दी गयी थी जबकि अपीलांटस नियत पेशी दिनांक 28.03.2024 के भरोसे ही थे। अधीनस्थ न्यायालय ने नियत पेशी दिनांक 28.03.2024 से पूर्व ही उक्त पत्रावली फिर से दिनांक 21.03.2024 को मुकर्रर कर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों का पालन किये बिना विधिक त्रुटिपूर्ण आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। तकनीकी आधारों पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उतरदाता को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से वंचित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में वाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 444/2023 बअनवान रामाराम बनाम चैनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर